न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, IAS

प्रकरण संख्याः 04/2018

उनवान

कचरू पिता नाथु चमार निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

–: प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

–: अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136– भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 15.10.2020

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के स्वामित्व एंव आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नम्बर 7399/3863 पुराना तथा 9042 नया रकबा 4 बीघा वाके ग्राम पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा में स्थित है।उक्त भूमि प्रार्थी के पिता नाथु को आवंटित होकर प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड संवत 2043 से 2046 में दर्ज हुई। गत सेटलमेंन्ट में राजस्व अधिकरियों ने प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त भूमि को प्रार्थी के खातें से हटाकर श्रीसरकार दर्ज कर लिया जो वर्तमान राजस्व अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्ज रेकार्ड कर ली है। उक्त भूमि तालाब पेटे से लगी हुई होकर पूर्णतः कृषि योग्य है। उक्त भूमि कभी पक्का निर्माण या भवन बनने लायक नही है परन्तु अप्रार्थी राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना रेकार्ड या मौका देखे प्रार्थी की भूमि को श्रीसरकार आरक्षित कर लिया जो गलत है। राजस्व रेकार्ड की उक्त त्रुटी को दुरस्त कर प्रार्थी के खातें की उक्त भूमि पुनः प्रार्थी के खातें दर्ज रेकार्ड किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को वर्तमान फसल का खराबा नही मिलने से पटवारी के पास जाकर नकल प्राप्त करने से उक्त त्रुटी का पता चला। जिस पर प्रार्थी ने विभिन्न राजस्व अभियानों में उक्त त्रुटी दुरस्त करने आवेदन किया परन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त त्रुटी दुरस्त नही किये जाने से प्रार्थना–पत्र पेश हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार गढ़ी के नाम सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी तहसीलदार, गढ़ी की ओर से जवाब प्रस्तुत होकर कथन किया गया कि ग्राम पालोदा में आराजी नम्बर 3863 में नाथु पिता नानजी चमार के नाम आवंटन होकर सर्वे नम्बर 7399/3863 रकबा 4 बीघा भूमि दिनांक 3,7,1973 को अमल दरामद होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई। आवंटन के समय से आवन्टी नाथु का कब्जा होकर काश्त करता आ रहा है। मौके पर किसी प्रकार का विवाद कब्जा सम्बन्धी नही हैं। वक्त सेटलमेंन्ट उक्त भूमि के नये नम्बर दर्ज हाककर सर्वे नम्बर 9042 रकबा 0.80 हे0 भूमि श्रीसरकार दर्ज हो गई। तथा वर्तमान में वादग्रस्त भूमि जमाबन्दी संवत 2072–75 में सार्वजनिक [illegible] आरक्षित दर्ज रेकार्ड है। मूल खातेदार नाथु पिता नानजी का स्वर्गवास होने से उक्त भूमि [illegible] कचरू पिता नाथु (इकलौता पुत्र) के कब्जे में होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त भूमि [illegible] पेटें में स्थित है। इस प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार का जवाब पेश होने के पश्चात् प्रार्थी अभि[illegible] की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.01.29 12:43:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एंव जमाबन्दी नकल संवत 2072 से 2075, भूमि आवंटन की आज्ञा, खसरा गिरदावरी नकल संवत 2043 से 2046, खसरा गिरदावरी नकल संवत

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

2047 से 2048 तथा भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने एंव प्रार्थी अभिभाषक की बहस पर मनन् करने पर पाया गया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्ज रिकार्ड है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2020 को सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.01.29 12:43:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner